निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 30/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र )

भूली देवी पत्नी गंगाराम जाति मीणा निवासी वार्ड नम्बर 23, करवा चाकसू, तहसील चाकसू जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1 उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर।

2 राम प्रसाद पुत्र ग्यारसीलाल

3 श्रीमती मन्नी देवी पत्नी रामप्रसाद

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम नूण्डिया, तहसील निवाई, जिला टोंक

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 166/2021 ब उनवानी भूली देवी बनाम रामप्रसाद व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः—

1. श्री राम कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री कालूराम मीणा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 07.03.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष प्रकरण संख्या 166/2021 ब उनवानी भूली देवी बनाम रामप्रसाद व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी चाकसू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से वकील श्री कालूराम मीणा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया है।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त प्रकरण अप्रार्थीगण ने द्वारा दिनांक 18.01.2022 को मय अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 3 व 4 सपठित धारा 151 सी पी सी का जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसकी प्रार्थिया के अधिवक्ता ने नकल प्राप्त की व नकल प्राप्ति के पश्चात न्यायालय द्वारा प्रार्थिया को बहस हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.02.2022 नियत की गई। जिसके संबंध में प्रार्थिया के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय की आदेशिका पर उक्त दिनांक 18.01.2022 को नोटेड फोर 15.02.2022 वास्ते बहस टी आई हेतु अंकित किया था। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थिया एवं प्रार्थिया के अधिवक्ता को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं देकर उक्त पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.02.2022 के बजाय 25.01.2022 नियत की गई। जिसकी जानकारी प्रार्थिया

जिला कलक्टर
जयपुर

व प्रार्थिया के अधिवक्ता को नहीं रही। जब प्रार्थिया का अधिवक्ता अन्य मुकदमों की नियमित सुनवाई हेतु पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में गया तो प्रार्थिया के अधिवक्ता को पता चला कि उक्त पत्रावली को आज की तारीख पेशी में सुनवाई हेतु नियत कर रखा है तथा जब प्रार्थिया के अधिवक्ता ने इस संबंध में सूचना प्रार्थिया को दी तो प्रार्थिया पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुई तो पीठासीन अधिकारी के पास अप्रार्थी संख्या 2 बैठा हुआ मिला तथा जब प्रार्थिया ने पीठासीन अधिकारी से उक्त प्रकरण के संबंध में आज की तारीख पेशी नही होने बाबत जानकारी चाही तो, पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थिया को धमकाया गया तथा कहा कि मैं उक्त पत्रावली में आज ही आदेश करूंगा तथा प्रार्थिया को चैम्बर से बाहर निकाल दिया। पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 25.01.2022 को प्रार्थिया के अधिवक्ता पर दबाव डाला गया। जिस पर प्रार्थिया के अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रकरण में लिखित बहस मय दस्तावेज पेश की गई व आदेश हेतु तारीख पेशी दिनांक 02.02.2022 नियत की गई। उक्त न्यायालय में इस प्रकार हुई घटना से साफ जाहिर है कि प्रार्थिया को न्याय मिलने की सम्भावना कतई नहीं है। प्रार्थी संख्या 2 की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थिया आश्चर्यचकित हो गई कि ये कैसे हुआ ? जब अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गया है तो फिर प्रार्थिया को न्याय प्राप्त होना असम्भव है । इस प्रकार प्रार्थिया को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं रही है । ऐसी स्थित में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 अप्रार्थी संख्या 1 के साथ मिल कर प्रार्थिया को अपनी उक्त कब्जेशुदा भूमि से बेदखल करना चाहते है जिसके संबंध मे प्रार्थिया द्वारा दिनांक 25.10.2021 व 9.12.2021 को डी सी पी जयपुर दक्षिण व थानाधिकारी पुलिस थाना चाकसू को लिखित में शिकायत भी दी। प्रार्थिया एक गरीब महिला है जो अपने अधिकारों के लिये माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अपने अधिकार प्राप्त करने के लिये लड़ रही है तथा प्रार्थिया के वाद अधीन भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि या अन्य कोई जीविकोपार्जन का साधन नहीं है। अप्रार्थीगण अपनी गैर कानूनी हरकतो से पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ कर प्रार्थिया के दावे को खारिज करा देंगे तो वे अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित हो जावेगी। इसलिए यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने प्रार्थिया के आरोपों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जबाब दिनांक 18.01.2022 को पेश किया गया। जिसकी प्रति प्रार्थी वकील को दी जाकर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये जाकर तारीख पेशी 15.02.2022 दी गई थी, किन्तु अप्रार्थी वकील द्वारा बहस में लम्बी तारीख होने का एतराज करने पर दोनों वकीलों की सहमति व प्रार्थी वकील को जानकारी दी जाकर आगामी तारीख पेशी 15.02.2022 के स्थान पर 25.01.2022 नियत की गई थी, जिसके अनुसार प्रार्थी वकील दिनांक 25.01.2022 को लिखित बहस तैयार कर मय दस्तावेज के न्यायालय में हाजिर हुये थे। वकील प्रार्थी को पूर्व से ही तारीख 25.01.2022 की जानकारी थी। यदि जानकारी नहीं होती तो लिखित बहस व दस्तावेज लेकर नहीं आते। अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 25.10.2021 प्रार्थिया के पक्ष में एक पक्षीय स्थगन जारी किया गया है। इसलिए प्रार्थिया जानबूझ कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करना चाहती है। इसी मंशा से झूठे एवं मनघढन्त आरोप लगा कर

जिला कलक्टर
जयपुर

यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। आरोपों की पुष्टि में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उसके कथनों की पुष्टि होती हो। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश फरमावें ।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थिया का आरोप है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में सुनवाई दिनांक 15.02.2022 नियत की गई थीं, किन्तु प्रार्थिया को बिना सूचित किये तारीख पेशी में परिवर्तन किया जाकर दिनांक 15.02.2022 के बजाय दिनांक 25.01.222 नियत की दी। अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार प्रार्थिया ने अधीनस्थ न्यायालय से एक पक्षीय स्थगन प्राप्त कर रखा है और अब लम्बी तारीख पेशी लेने का प्रयास करती है। पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुये अप्रार्थी अधिवक्ता के आपत्ति किये जाने पर प्रार्थिया के वकील को सूचित किया जाकर उनकी सहमति से ही तारीख पेशी में परिवर्तन किया जाना बताया है। प्रार्थिया ने केवल मात्र कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस सम्बन्ध में न्यायिक न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18, एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं माना है।

8. प्रकरण में उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने से यह पाया गया है कि उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी चाकसू द्वारा प्रार्थिया के पक्ष में एक पक्षीय स्थगन जारी कर रखा है । इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रार्थी अपने पक्ष में जारी एक पक्षीय स्थगन आदेश को जारी रखने एवं प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इस प्रकार प्रार्थिया न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग कर रही है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों के विपरीत है। उपखण्ड अधिकारी चाकसू के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण का अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी चाकसू को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से खारिज हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 07.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजन विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर